



# दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) - 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in, Website: www.durguniversity.ac.in, Phone & Fax 0788-2359400

क्र. 869 / अका. / 2017

दुर्ग, दिनांक : 11/07/17

## || अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के गृहविज्ञान संकाय के अंतर्गत गृहविज्ञान अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ. अमिता सहगल (प्राध्यापक), शासकीय डॉ. वा.वा. पाटणकर स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, जिला-दुर्ग (छ.ग.)  
2. डॉ. संध्या मदन मोहन (सहा. प्राध्यापक), भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-9, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. डॉ. नंदा गुरुवारा (प्राध्यापक), शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)  
2. श्रीमती रेखा सेंटियागो (सहा. प्राध्यापक), कल्याण स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, सेक्टर-7, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
- 28(2)(v) 1. डॉ. भारती सेठी (सहा. प्राध्यापक), डॉ. खूबचंद बघेल शासकीय स्नातकोत्तर कॉलेज, भिलाई-3, जिला-दुर्ग (छ.ग.)  
2. श्रीमती रश्मि सिंह (सहा. प्राध्यापक) शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा, जिला-बालोद

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा- 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. अमिता सहगल को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

क्र. 870 / अका. / 2017

दुर्ग, दिनांक : 11/07/17

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
2. आयुक्त उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. संबंधित सदस्यों को।
4. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
5. समस्त विभागीय अधिकारी।
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)